प्रारुप-30

FORM-1

(for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector New Tehri

No-- 1050 / XXVI - 105 (2015-16)

Dated --- 02/01/16.

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.33 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Const Div P.W.D. Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Kaudiyala to Gangalsi Village in Narendra Nagar Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.33 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.10...to ...annexure. 30:4.....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3
- (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Narsndra Nagar, Munikireti

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Tehri Garhwal (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs Jyoti Neeraj Kherwal I.A.S deputy commissioner, Tehri Garhwal on dated . Tehri in which application claiming rights in Forest area measuring 1.33 hect for the construction of Kaudiyala to Gangalsi Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Narendra Nagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Tehre
Dated: 02/01/2016

Deputy Commissioner com Chairman District Level Committe

टिहरी गढ़वाल।

Photocopy atterted

Assistant Engineer

It Further certified that- Minutes of Meeting of Construction of Kaudiyala to Gangalsi Motor Road (Length 2.00 Km) regarding FRA is as following:

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.55 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Const Div P.W.D.Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Kaudiyala to Gangalsi village in Narendra Nagar Tehsil.

S.N.		Remark	
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1. hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest	
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.	
(c)	The proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.	

जिला पंचायत सदस्य
टिईसे प्रविशित्र
सुमन पुण्डीर
समस्य जिला पंचायत
47 बढीर पट्टी बेगी
नरेन्द्रनगर, टिकरी गढ़माल

ととうととととととととととととと

समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल

त्रणागीय चनाविकाकी गरेन्द्रनगर चान प्रमाण प्रमुनिकीरिती

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल

Photocopy attested

(ज्योति नीरज खेरवाल) जिलाधिकारी विहरी गढ़वाल।

परियोजना का विवरण:—जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति – तहसील नरेन्द्रनगर

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के (लम्बाई 2.00 कि0मी0) निर्माण हेतु (1.050 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि तथा 0.070 हे0 नाप भूमि अर्थात कुल 1.25 हे0 वन भूमि) का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 0.2 मार्ग की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री लक्की गाउन चाँडान 2- श्री कि पीर मुक्त

उपजिलाधिकारी - अध्यक्ष

उप प्रभागीय वनाधिकारी- सदस्य

3- श्री कोर सिंह होनर. 4- श्री शादवा देवी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी— सदस्य/सचिव

बी0डी0सी0 क्षेत्र – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कौड़ियाला — गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.35 है0 वन भूमि का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापित जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापित जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड मुनिकीरेती परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला — गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.3% है0 वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकासे अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तर्भुग अस्त्राभृद्धिकार समिति तहसील- तरेन्द्रसम्प्र_{मगर} जनपद- टिक्टिस्स्वाल्यक

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कूार्यवाही हेतु प्रेषित।

Inscopy attested

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- नरेन्द्रनगर जनपद- टिहरी गढ़वाल का जिलाधिकारी

प्रारुप

आज दिनांक १२ ११११) को राज्य योजना के अन्तर्गत कौड़ियाला — गंगलसी मोटर मार्ग निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है—

क०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर (त्रह्मा
1	श्री लक्ष्में थाउँ चर्मेशन	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	30
2	शी डी.पी बलोची	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	9 80
3 -	श्री क्रीराष्ट्रिंगीम	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी	D Somethal Marc
4		बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत प्रमुख नरेन्द्रनगर	20200

Photocopy atterded

Suscion Division, D.W.D.

Narendra Nayar, Munikiven

परियोजना का विवरण:— जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 कि0मी0)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम – बडीर तहसील-नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौड़ियाला — गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.050 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे0 सिविल सोयम भूमि, एवं 0.070 हे0 नापभूमि) अर्थात कुल 1.55 हे0 वन भूमि का प्रस्ताव निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बडीर द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा विमली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लोठनिठिवठ नरेन्द्रनगर को कौड़ियाला — गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

जिला पंचायत सदस्य उपलब्ध सुमन पुण्डीर सदस्य जिला पंचायत 47 बंबीर पट्टी चेगी नोजनगर, किसी गहनात





दिनांक ...25- रे-15... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत— बडीर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	_ 3
1	वलवान्। ति	ने प्रभागासि
2	-बिर-द्रामेह	कार्यं
3	90-11/20	किनीता दवी
4	सुत्रे-द्रास क	स्रोड
5	न्नायाक। हिन्ह	नारायण सिर्
6	स्रोमा शिक्ट	अपेतार् विद
7	-विडाय हिन्ह	B-S-Para
8	विसाला १० इ	B.S. Danoi
9	११२ नी र । नि	शुरवीरासिट
0 .	अभियां के मिड	3 भरा वासिह
1	Senio 12 E	from the
2	भेपाल मिट	A Roma

Phonography atterded

pulverpy attenden

	7-1. 1. 7, 10	
312 2/18-88	3137 7448	58
मनोहर सह	3,81 331-14	82
केरिठा सिंह	3.51 1026	12
301 Tring	367 1-100	56
3121 101/25	312/ -In-15	52
32. 50/31	369 7/3	24
Wikeding Singh	351 H&B	53
Phys vayoud	301 -314	ZZ
नित्र प्रमिह	391 16-83	51
4 prismodult	3 prieus 3	50
उनेन निहा	341661	61
SHI FILE	3 HI (0140	81
34//p/2003	रेखारवाचार्याच्य	۷۱.
3 Mico) -	3 DI KISHEL	91
3th Struct	1919/3/182c	91
39/1000	5 to 1 (0) 20	bl
3614126	Sulping.	13

30	गीपाल हिट	भी पा जाविह
31	यामेश सिष्ट	राकेशिह
32	चुमा शिष्ट	Chive
33	Amain 16 E	- ज्ञावानीसिंद्य
34	जीतार मिड	े निलास्य ट
35	रेकाम ह	ट का रे
36	रणवीर मिह	70792
37	युनामार्थे ह	Sant
38	भातवर् लिष्टं प्राट हवाण सिह	भारन्टाक्ट
39	चलवत्त सिष्टीक्षक ह्वावा सिष्ट	Heen
40	वेन सिंह अ० सुदर सिंह	91-1145
41	विरोद्ध सिंहं ख्राट अदन सिंह	विक्दिविह
42	अ हिपाल सिंह सन् सुद्रिक	
43	रविन्द्र सिहं या होनियार सिंह	रविन्द्र किष्ट
44		-

जिला पंचायत सदस्य

क्षेत्र पंचायत सदस्य

क्षेत्र पंचायत सदस्य

क्षित्र पंचायत सदस्य

